उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति
कार्यालय आयुक्त आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास

ब्लॉक–4डी, भूतल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छत्तीसगढ़)

Website- tribal.cg.gov.in Ph. 0771- 2263713 Fax 0771- 2262558 E mail – ctd.cg@nic.in

क्र. / छास / अजजा / 527 / 2020 / 96 नवा रायपुर अटल नगर, दिनाँक 23/06/2021

श्रीमती ऋचा रूपाली साधु
पिता श्री प्रवीण राज साधु
"अनुग्रह" सागौन बंगला
सिविल लाइन रायपुर (छ.ग.)

–: आदेश :–

(दिनाँक 18 / 06 / 2021)

सिविल अपील क्रमांक 5854 / 1994 दिनांक 02.09.1994 कु. माधुरी पाटिल बनाम एडीशनल कमिश्नर ट्रायबल डेव्हलपमेंट एवं अन्य (AIR 1995 SC 94) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में दिये गये मार्गदर्शी निर्देश एवं छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम 2013 में विहित प्रावधानों के अनुसार छ.ग शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. एफ–13–23 / 2012 / 1–3 दिनांक 17.03. 2017 द्वारा गठित उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति को अधिक्रमित करते हुए छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) क्रमांक–66 नया रायपुर दिनांक 21 फरवरी 2018 को जारी अधिसूचना के द्वारा उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति का पुनर्गठन किया गया है।

2. जिला स्तरीय प्रमाण पत्र सत्यापन समिति जिला मुंगेली के द्वारा अपने कार्यालयीन पत्र दिनांक 20.10.2020 के माध्यम से अनावेदक श्रीमती ऋचा रूपाली साधु पिता प्रवीण राज साधु की सामाजिक प्रास्थिति की जांच हेतु प्रकरण उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति को विस्तृत प्रतिवेदन एवं संबंधित अभिलेखों के साथ प्रेषित किया गया। उक्त पत्र के साथ जिला स्तरीय समिति द्वारा पारित आदेश की प्रति, कार्यालयीन नोटशीट, शिकायतकर्ता श्री संत कुमार नेताम से प्राप्त शिकायती पत्र एवं दस्तावेज, शिकायतकर्ता श्री रमेश खुसरो से प्राप्त शिकायती पत्र एवं दस्तावेज, अनावेदिका की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन, अन्य सहपत्र एवं समिति की कार्यवाही विवरण पंजी संलग्न प्रेषित किये गये।

जिला स्तरीय समिति द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.10.2020 में निष्कर्षतः यह लेख किया गया है कि "प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों की विस्तृत समीक्षा एवं विश्लेषण के आधार पर जिला स्तरीय प्रमाण पत्र सत्यापन समिति जिला मुंगेली, अधिनियम 2013 की धारा 6(3) और नियम 2013 की धारा 18 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत श्रीमती ऋचा रूपाली साधु पिता प्रवीण राज साधु, निवासी ग्राम पेण्ड्रीडीह, तहसील मुंगेली, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ को जारी स्थायी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र प्रथमदृष्टया संदेहास्पद होने के कारण अनुसूचित जनजाति के लिए अंतिम जांच होने तक के लिए निलंबित करने तथा अनावेदिका द्वारा किसी भी प्रकार के हित लाभ के लिए उपयोग नहीं किये जाने संबंधी आदेश जारी करने

Scanned with CamSc

के निर्देश सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मुंगेली, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ को दिया जाता है तथा समस्त दस्तावेजों सहित पारित आदेश की प्रति निर्धारित प्रारूप में उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति रायपुर को अंतिम जांच हेतु भेजा जावे।"

जिला स्तरीय समिति द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुक्रम में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मुंगेली, जिला मुंगेली, छ.ग. के आदेश दिनांक 16.10.2020 के द्वारा ऋचा रूपाली साधु पिता प्रवीण राज साधु को जारी "गोंड" अनुसूचित जनजाति के जाति प्रमाण पत्र दिनांक 17.07.2020 को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

3. इस छानबीन समिति द्वारा प्रकरण के प्राप्ति उपरांत समिति की बैठक दिनांक 23.10.2020 में जिला स्तरीय प्रमाण पत्र सत्यापन समिति से प्राप्त प्रतिवेदन एवं संबंधित दस्तावेजों का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। तदोपरांत नियम 2013 के नियम 20 (1) के अनुसरण में समिति द्वारा प्रकरण को विस्तृत अन्वेषण कर प्रतिवेदित किये जाने हेतु कार्यालयीन पत्र दिनांक 09.11.2020 के माध्यम से विजिलेंस सेल को अग्रेषित किया गया।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में प्रकरण के अन्वेषण उपरांत उप पुलिस अधीक्षक विजिलेंस सेल के द्वारा अपने पत्र दिनांक 17.03.2021 के माध्यम से विस्तृत प्रतिवेदन छानबीन समिति को उपलब्ध कराया गया। उक्त प्रतिवेदन के साथ धारक के द्वारा जाति प्रमाणपत्र वैधता परीक्षण हेतु भरकर प्रस्तुत किए गए नृजातीय प्रपत्र, सामाजिक स्थिति संबंधी अध्ययन प्रतिवेदन, धारक के पक्ष में जारी किये गये **"गोंड"** अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र, उनके पिता/पूर्वजों के राजस्व/शैक्षणिक अभिलेख, संबंधित हल्का पटवारी से अभिप्रमाणित वंशावली, धारक के द्वारा अपने पक्ष में प्रस्तुत अभिलेख एवं अन्य दस्तावेजों को संलग्न प्रस्तुत किया गया है। धारक के पूर्वजों के निवासी ग्राम के ग्रामवासियों द्वारा आम सूचना की मुनादी के दौरान उपस्थित होकर दिए गए बयान/कथन को विजिलेंस सेल के द्वारा अपने प्रतिवेदन में उद्धृत किया गया है। अन्वेषण के दौरान प्रकाश में आए समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विजिलेंस सेल के द्वारा अपना निष्कर्ष दिया गया है। जिसके अनुसार धारक अपनी दावा की गई **"गोंड" अनुसूचित जनजाति** के समर्थन में कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रही अतः प्राप्त तथ्यों के आधार पर धारक की जाति **"गोंड़"** अनुसूचित जनजाति होना नहीं पाया गया।

4. विजिलेन्स सेल के द्वारा प्रस्तुत अन्वेषण प्रतिवेदन के अनुसार सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में धारक का दावा उचित एवं न्याय संगत प्रतिवेदित नहीं होने के कारण समिति द्वारा छ.ग. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) नियम 2013 के नियम 22(1) के अनुसरण में धारक को प्रत्यक्ष सुनवाई, मौखिक जाँच तथा अपनी सामाजिक प्रास्थिति की पुष्टि एवं समर्थन में गवाह एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु कारण बताओ नोटिस दिनांक 22.03.2021 मय अन्वेषण प्रतिवेदन पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित करते हुए 15 दिवस के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया।

धारक से उक्त कारण बताओ नोटिस का प्रत्युत्तर नियत समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी छानबीन समिति को प्राप्त नहीं हुआ। फलस्वरूप कार्यालयीन पत्र दिनांक 07.05.2021 के द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का प्रत्युत्तर दिए जाने हेतु स्मरण पत्र प्रेषित किया गया। स्मरण पत्र प्रेषित किए जाने के बाद भी जवाब प्राप्त नहीं होने के कारण समिति द्वारा धारक को समक्ष सुनवाई हेतु आहूत किए जाने का निर्णय लिया गया।

Scanned with CamSc

5. सिविल अपील क्र. 4545/1995 दिनांक 18.04.1995 डायरेक्टर ट्रायबल वेलफेयर, आंन्ध्रप्रदेश बनाम लावेती गिरी एवं अन्य AIR 1995 SC 1506 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विनिर्धारित किया गया है कि **"अपनी सामाजिक प्रास्थिति को साबित करने हेतु सबूत का भार हमेशा उस व्यक्ति पर होता है जो संवैधानिक सामाजिक आर्थिक लाभ प्राप्त करता है अथवा लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न करता है।"** अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देशों तथा छ.ग. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) नियम 2013 के नियम 22(2) में विहित प्रावधान के अनुसरण में जाति प्रमाण पत्र धारक को अपनी सामाजिक प्रास्थिति के समर्थन में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु समुचित अवसर उपलब्ध कराया गया। जिसके अनुक्रम में दिनांक 05.06.2021 की तिथि नियत करते हुए सूचना पत्र प्रेषित किया गया। साथ ही नियम 2013 के नियम 22(3) के अनुसरण में डौंडी पिटवाने के द्वारा लोक सूचना प्रसारित किए जाने बाबत् तहसीलदार मुंगेली जिला मुंगेली (छ.ग.) को पत्र प्रेषित किया गया जिससे कि धारक के संबंध में जानकारी रखने वाले व्यक्ति उक्त नियत तिथि को समिति के समक्ष उपस्थित होकर अपना मौखिक कथन/शपथपत्र अथवा कोई आनुषंगिक दस्तावेज प्रस्तुत कर सकें।

धारक उक्त नियत सुनवाई तिथि को समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। पर उनके द्वारा विशेष वाहक के माध्यम से समिति के नाम से एक पत्र भिजवाया गया, जिसमें पारिवारिक स्वास्थ्यगत कारणों का हवाला देते हुए अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 10.06.2021 तक का समय प्रदान करने का निवेदन किया गया। समिति द्वारा उनके निवेदन को स्वीकार करते हुए अपना पक्ष रखने हेतु समिति की आगामी आयोजित बैठक दिनांक 11.06.2021 तक का समय प्रदान करते हुए उन्हें पत्र दिनांक 08.6.2021 के द्वारा तत्संबंधी सूचना दी गयी। साथ ही नियम 2013 के नियम 22(3) के अनुसरण में डौंडी पिटवाने के द्वारा लोक सूचना प्रसारित किए जाने बाबत् तहसीलदार मुंगेली, जिला मुंगेली (छ.ग.) को पत्र प्रेषित किया गया जिससे कि धारक के संबंध में जानकारी रखने वाले व्यक्ति उक्त नियत तिथि को समिति के समक्ष उपस्थित होकर अपना मौखिक कथन/शपथपत्र अथवा कोई आनुषंगिक दस्तावेज प्रस्तुत कर सकें। धारक उक्त नियत तिथि को उपस्थित नहीं हुए। उनके द्वारा अपने प्रतिनिधि के रूप में अपने भाई श्री ऋषभ सुशील साधु को आवश्यक अभिलेखों की छायाप्रति के साथ पक्ष प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया। उनके प्रतिनिधि के द्वारा रजिस्ट्री बैनामा वर्ष 1940, स्वपनिल पिता श्री पुष्पराज साधु का स्थायी जाति प्रमाण पत्र, प्रभात कुमार साधु पिता श्री बी. साधु का जाति प्रमाण पत्र, श्री प्रभात कुमार साधु की सैलरी स्लिप, यूको बैंक बिलासपुर से प्राप्त पुष्पराज साधु पिता श्री एस.के. साधु का जाति प्रमाण पत्र, वंशवृक्ष, बी साधु वल्द प्रभुदास का अधिकार अभिलेख, पुष्पराज साधु का विक्रय विलेख वर्ष 2002 एवं स्वप्निल साधु पिता श्री पुष्पराज साधु का शालेय अभिलेख वर्ष 1994 आदि अभिलेखों की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी। उनके द्वारा यह कहा गया कि ये अभिलेख पूव में भी विजिलेन्स सेल को प्रस्तुत किए जा चुके हैं, इसके अतिरिक्त उन्हें और कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करना है। उनके द्वारा और अतिरिक्त समय की मांग नहीं की गई। उल्लेखनीय है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 76 एवं 77 के अनुसार लोक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति अथवा मूल प्रति ही साक्ष्य हेतु ग्राहय है, छायाप्रति एवं निजी निजी संस्था का दस्तावेज अथवा उसकी छायाप्रति साक्ष्य हेतु ग्राह्य नहीं है।

आज दिनांक को नियम 2013 के नियम 22(3) के तहत डौंडी पिटवाने के द्वारा तहसीलदार मुंगेली के द्वारा प्रसारित आम सूचना के अंतर्गत अपना लिखित/मौखिक कथन अथवा दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु कोई भी धारक के क्षेत्र के निवासी तथा अन्य व्यक्ति उपस्थित नहीं हुआ।

Scanned with CamSc

6. धारक को उनके द्वारा दावा की गई **"गोंड" अनुसूचित जनजाति** संबंधी सामाजिक प्रास्थिति को साबित किए जाने हेतु पर्याप्त समय व अवसर प्रदान किये गये। उक्त उपलब्ध कराए गए अवसरों में धारक के द्वारा विजिलेन्स सेल एवं छानबीन समिति के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया। अतः समिति द्वारा धारक को अपना पक्ष रखने हेतु अब तक उपलब्ध कराये गये अवसर को पर्याप्त मानते हुए उनके द्वारा अपने पक्ष में प्रस्तुत दस्तावेजों, प्रकरण में अब तक उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करने तथा अन्वेषण प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर प्रकरण का विनिश्चिय किये जाने का निर्णय लिया गया।

7. उक्त विनिश्चय के अनुक्रम में समिति द्वारा विजिलेन्स सेल के द्वारा प्रस्तुत अन्वेषण प्रतिवेदन मय आनुषंगिक अभिलेखों, लिए गए बयान/कथन एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रकरण का समग्र परीक्षण एवं परिशीलन करते हुए निम्नलिखित बिन्दुओं में प्रकरण के तथ्यों का विश्लेषण करते हुए निर्णय लिए गए –

(I) **धारक एवं उनके पूर्वजों का मूल निवास –**

(a) धारक के द्वारा भरकर प्रस्तुत किए गए "जाति प्रमाण पत्र वैधता परीक्षण हेतु प्रपत्र" के बिन्दु क. 2.2 एवं 2.6 में धारक एवं उनके पूर्वजों का मूल निवास स्थान ग्राम पेण्ड्रीडीह, तह. एवं जिला मुंगेली, छ.ग. उल्लेखित है।

(b) मौजा मोतिमपुर, राजस्व निरीक्षक मंडल जरहागॉव, तह. मुंगेली, जिला बिलासपुर के अधिकार अभिलेख वर्ष 1954–55 के अनुक्रमांक 95 में वर्णवास साधू पिता पुरूदास का नाम दर्ज है।

(c) ग्राम पेण्ड्रीडीह, तह. व जिला मुंगेली के अधिकार अभिलेख की प्रमाणित प्रति में बी साधु पिता प्रभुदास भूमिस्वामी का नाम अंकित है।

(d) रजिस्ट्री बैनामा वर्ष 1940 की छायाप्रति के अनुसार केता बर्णवासी साधू (B. Sadhu) वल्द प्रभूदास साकिन बीश्रामपुर तह. बलौदाबाजार, जिला रायपुर उल्लेखित है।

(e) इंडियन इंग्लिश मिडिल स्कूल तह. बलौदाबाजार, जिला रायपुर के शालेय दाखिल खारिज पंजी वर्ष 1944 में धारक के पूर्वज प्रभात कुमार पिता बी. साधु का नाम दर्ज है।

उक्त अभिलेखों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि धारक के पूर्वज वर्ष 1950 की स्थिति में छ.ग. राज्य की भौगोलिक सीमा में निवासरत थे।

(II) **धारक एवं उनके पूर्वजों की वंशावली –**

(a) ग्राम पेण्ड्रीडीह, रा.नि.मं. जरहागॉव, तह. मुंगेली के पटवारी हल्का नं. 41 एवं सरपंच ग्राम पंचायत छतौना के द्वारा ग्रामवासियों की मौजूदगी में पंचनामा बनाकर जारी वंशावली में वर्णवास साधु पिता प्रभुदास से उनके पुत्र सुशील कुमार साधु, विमलकुमार साधु, प्रभात कुमार साधु तथा सुशील कुमार साधु के पुत्र प्रवीण राज साधु एवं अन्य 3 भाई बहनों एवं प्रवीण राज साधु के पुत्र ऋषभ सुशील साधु एवं पुत्री ऋचा रूपाली साधु तक के नाम दर्शित हैं।

(b) पटवारी हल्का नं. 42 ग्राम मोतिमपुर, तह. व जिला मुंगेली द्वारा ग्रामवासियों एवं कोटवार की उपस्थिति में दिनांक 12.02.2021 को जारी वंशावली में सुशील कुमार साधु

Scanned with CamSc

उनके दो भाइयों विमल एवं प्रभात से प्रवीण राज साधु उनके तीन भाई बहनों पुष्पराज साधु, संध्या साधु एवं सृष्टि साधु तथा ऋचा रूपाली साधु उनके भाई ऋषभ सुशील साधु तक की वंशावली दर्शित है।

(c) पटवारी हल्का नं. 41, ग्राम पेण्ड्रीडीह, तह. व जिला मुंगेली द्वारा वर्तमान पटवारी अभिलेख के अनुसार तैयार वुशवृक्ष दिनांक 12.02.2021 में सुशील के पुत्र प्रवीण उनके तीन भाई बहनों तथा प्रवीण के पुत्र ऋषभ एवं पुत्री ऋचा रूपाली तक की वंशावली दर्शित है।

उपर्युक्त वंशावलियों में से (a) पर दर्शित वंशावली में वर्णवास साधु पिता प्रभुदास तक के नाम हैं, तथा (b) एवं (c) में सुशील कुमार साधु तक के नाम हैं।

(III) **धारक एवं उनके वंशजों के शालेय अभिलेख –**

(a) इंडियन इंग्लिश मिडिल स्कूल तह. बलौदाबाजार जिला रायपुर से प्राप्त शालेय दाखिल खारिज पंजी की सत्यापित में विद्यार्थी प्रभात कुमार पिता बी साधु (धारक के पूर्वज), जाति या धर्म **"Xtian"** जन्मतिथि 21.04.1934 तथा शाला में दाखिल होने की तिथि 20.07.1944 दर्ज है।

(b) हॉली क्रास सीनियर सेकण्डरी स्कूल कांपा रायपुर से प्राप्त शालेय दाखिल खारिज पंजी के सरल क्र. 1029 पर विद्यार्थी ऋचा आर. साधु पिता श्री पी. आर. साधु कक्षा 4थी में दाखिल होने की तिथि 01.07.1994 तथा जाति या धर्म के कॉलम में **"Christian"** अंकित है।

(c) मैत्री विद्या निकेतन भिलाई जिला दुर्ग से प्राप्त शालेय दाखिल खारिज पंजी के क्र. 148 पर विद्यार्थी ऋचा रूपाली साधु पिता श्री पी. आर. साधु, जाति या धर्म **" Christian/ST",** तथा कक्षा 11वीं में दाखिले की तारीख 15.06.2002 दर्ज है।

उपर्युक्त (a) में दर्शित शालेय दाखिल खारिज पंजी, जो कि वर्ष 1944 का दस्तावेज होने के कारण सुसंगत है, में विद्यार्थी प्रभात कुमार (धारक के पूर्वज) की जाति या धर्म के कालम में **"Xtian"** अंकित है, जबकि शाला के अन्य विद्यार्थियों के नाम के आगे उसी कालम में ''गोंड'' आदि उनकी जाति भी उल्लेखित है।

(IV) **धारक एवं उनके पूर्वजों के द्वारा भूमि का किया गया कय – विकय –**

(a) धारक के द्वारा प्रकरण के अन्वेषण के दौरान विजिलेन्स सेल को एवं सुनवाई के दरम्यान छानबीन समिति के समक्ष वर्ष 1940 की रजिस्ट्री बैनामा की छायाप्रति प्रस्तुत की गई, जिसके अनुसार खसरा नं. 159, 160 की भूमि रकबा कमशः 1.17, 1.17 एकड़ को विक्रेता रामकिशोर वल्द मटरूराम मालगुजार मोतीमपुर बुचुआकापा तह. मुंगेली, जिला बिलासपुर के द्वारा क्रेता बर्णवासी साधू (B. Sadhu) वल्द प्रभूदास गोंड इसाई साकिन बीश्रामपुर तह. बलौदाबाजार जिला रायपुर हाल मुकाम पेण्ड्रीडीह तह. मुंगेली जिला बिलासपुर को विक्रय किया गया है।

(b) बैनामा रजिस्ट्री दिनांक 06.05.1974 के अनुसार उक्त खसरा नं. 159, 160 की भूमि रकबा कमशः 1.17, 1.17 एकड़ को विक्रेता वर्णवास साधु आत्मज श्री प्रभुदास **क्रिश्चीयन (आदिवासी जाति का नहीं है)** साकिन पेण्ड्रीडीह, तह. मुंगेली, जिला बिलासपुर के द्वारा

Scanned with CamSc

क्रेता भुखऊ मसीह पिता श्री जगत राम क्रिश्चीयन साकिन बुचुआकापा, तह. मुंगेली, जिला बिलासपुर म.प्र. को बेचा गया।

(c) विक्रय विलेख दिनांक 18.06.2010 के अनुसार विक्रेता श्रीमती रश्मिकांता पति श्री प्रवीण राज **जाति ईसाई (जन्म से गैर आदिवासी)** निवासी स्मृति नगर, भिलाई जिला दुर्ग छग. द्वारा क्रेता श्रीमती शिवबाई लहरे पति श्री द्वारिका लहरे जाति सतनामी ग्राम घुरू, तह. तखतपुर, जिला बिलासपुर को मौजा खाम्हीकुर्मी, पटवारी हल्का नं. 27 (नया 42), रा.नि.मं. जरहागॉव, तह. मुंगेली, जिला बिलासपुर छ.ग. में स्थित भूमि खसरा नं. 247 रकबा 1.36 एकड़ का विक्रय किया गया।

(d) विक्रय विलेख दिनांक 18.06.2010 के अनुसार विक्रेता ऋषभ सुशील पिता श्री प्रवीण राज **जाति ईसाई (जन्म से गैर आदिवासी)** निवासी स्मृति नगर, भिलाई जिला दुर्ग छग. द्वारा क्रेता श्रीमती लछबाई पति श्री भैयालाल लहरे जाति सतनामी ग्राम घुरू, तह. तखतपुर, जिला बिलासपुर को मौजा खाम्हीकुर्मी, पटवारी हल्का नं. 27 (नया 42), रा.नि.मं. जरहागॉव, तह. मुंगेली, जिला बिलासपुर छ.ग. में स्थित भूमि खसरा नं. 248/1, 249/1, 250/1, 249/2, 250/2 एवं 249/3 कुल रकबा 4.49 एकड़ का विक्रय किया गया।

(e) विक्रय विलेख दिनांक 18.06.2010 के अनुसार विक्रेता पक्ष ऋषभ सुशील पिता श्री प्रवीण राज एवं ऋचा रूपावली उर्फ कुमारी ऋचा रूपाली पिता श्री प्रवीण राज **जाति ईसाई (जन्म से गैर आदिवासी)** निवासी स्मृति नगर, भिलाई जिला दुर्ग छग. द्वारा क्रेता श्रीमती शिवबाई लहरे पति श्री द्वारिका लहरे जाति सतनामी ग्राम घुरू, तह. तखतपुर, जिला बिलासपुर को मौजा खाम्हीकुर्मी, पटवारी हल्का नं. 27 (नया 42), रा.नि.मं. जरहागॉव, तह. मुंगेली, जिला बिलासपुर छ.ग. में स्थित भूमि खसरा नं. 280 रकबा 1.26 एकड़ का विक्रय किया गया।

(f) विक्रय विलेख दिनांक 18.06.2010 के अनुसार विक्रेता पक्ष ऋषभ सुशील पिता श्री प्रवीण राज **जाति ईसाई (जन्म से गैर आदिवासी)** निवासी स्मृति नगर, भिलाई जिला दुर्ग छग. द्वारा क्रेता श्रीमती सुनीता बाई पति श्री राजकुमार लहरे जाति सतनामी ग्राम घुरू, तह. तखतपुर, जिला बिलासपुर छ.ग. को मौजा खाम्हीकुर्मी, पटवारी हल्का नं. 27 (नया 42), रा. नि.मं. जरहागॉव, तह. मुंगेली, जिला बिलासपुर छ.ग. में स्थित भूमि खसरा नं. 251, 275, 266, 274,270/1, 270/2 एवं 278 में से कुल रकबा 4.82 एकड़ का विक्रय किया गया।

(g) विक्रय विलेख दिनांक 18.06.2010 के अनुसार विक्रेता पक्ष ऋषभ सुशील पिता श्री प्रवीण राज एवं ऋचा रूपावली उर्फ कुमारी ऋचा रूपाली पिता श्री प्रवीण राज **जाति ईसाई (जन्म से गैर आदिवासी)** निवासी स्मृति नगर, भिलाई जिला दुर्ग छग. द्वारा क्रेता श्रीमती मीरादेवी जायसवाल पति श्री रामप्रकाश जायसवाल जाति कलार, ग्राम बजरंग नगर तखतपुर तह. तखतपुर, जिला बिलासपुर छ.ग. को मौजा खाम्हीकुर्मी, पटवारी हल्का नं. 27 (नया 42), रा.नि.मं. जरहागॉव, तह. मुंगेली, जिला बिलासपुर छ.ग. में स्थित भूमि खसरा नं. 284, 285, 286 एवं 287 कुल रकबा 5.64 एकड़ का विक्रय किया गया।

(h) विक्रय विलेख दिनांक 18.06.2010 के अनुसार विक्रेता पक्ष ऋषभ सुशील पिता श्री प्रवीण राज **जाति ईसाई (जन्म से गैर आदिवासी)** निवासी स्मृति नगर, भिलाई जिला दुर्ग

Scanned with CamSc

छग. द्वारा क्रेता श्रीमती नर्मदाबाई लहरे पति श्री राजेन्द्र लहरे जाति सतनामी ग्राम घुरू, तह. तखतपुर, जिला बिलासपुर छ.ग. को मौजा खाम्हीकुर्मी, पटवारी हल्का नं. 27 (नया 42), रा.नि.मं. जरहागॉव, तह. मुंगेली, जिला बिलासपुर छ.ग. में स्थित भूमि खसरा नं. 251, 275, 266, 274, 270/1, 271/2 एवं 278 में से कुल रकबा 4.81 एकड़ का विक्रय किया गया।

(i) विक्रय विलेख दिनांक 18.06.2010 के अनुसार विक्रेता पक्ष ऋषभ सुशील पिता श्री प्रवीण राज **जाति ईसाई (जन्म से गैर आदिवासी)** निवासी स्मृति नगर, भिलाई जिला दुर्ग छग. द्वारा क्रेता श्रीमती लछबाई पति श्री भैयालाल लहरे जाति सतनामी ग्राम घुरू, तह. तखतपुर, जिला बिलासपुर छ.ग. को मौजा खाम्हीकुर्मी, पटवारी हल्का नं. 27 (नया 42), रा. नि.मं. जरहागॉव, तह. मुंगेली, जिला बिलासपुर छ.ग. में स्थित भूमि खसरा नं. 279/1 एवं 288/3 कुल रकबा 3.54 एकड़ का विक्रय किया गया।

(j) विक्रय विलेख दिनांक 18.06.2010 के अनुसार विक्रेता पक्ष ऋचा रूपावली उर्फ कुमारी ऋचा रूपाली पिता श्री प्रवीण राज **जाति ईसाई (जन्म से गैर आदिवासी)** निवासी स्मृति नगर, भिलाई जिला दुर्ग छग. द्वारा क्रेता श्रीमती नर्मदाबाई लहरे पति श्री राजेन्द्र लहरे जाति सतनामी ग्राम घुरू, तह. तखतपुर, जिला बिलासपुर छ.ग. को मौजा खाम्हीकुर्मी, पटवारी हल्का नं. 27 (नया 42), रा.नि.मं. जरहागॉव, तह. मुंगेली, जिला बिलासपुर छ.ग. में स्थित भूमि खसरा नं. 277 एवं 279/2 एवं 278 में से कुल रकबा 0.25 एकड़ का विक्रय किया गया।

(k) विक्रय विलेख दिनांक 18.06.2010 के अनुसार विक्रेता पक्ष ऋषभ सुशील पिता श्री प्रवीण राज **जाति ईसाई (जन्म से गैर आदिवासी)** निवासी स्मृति नगर, भिलाई जिला दुर्ग छग. द्वारा क्रेता श्रीमती मीरादेवी जायसवाल पति श्री रामप्रकाश जायसवाल जाति कलार ग्राम बजरंग नगर तखतपुर तह. तखतपुर, जिला बिलासपुर छ.ग. को मौजा खाम्हीकुर्मी, पटवारी हल्का नं. 27 (नया 42), रा.नि.मं. जरहागॉव, तह. मुंगेली, जिला बिलासपुर छ.ग. में स्थित भूमि खसरा नं. 141 एवं 142 कुल रकबा 1.34 एकड़ का विक्रय किया गया।

(l) विक्रय विलेख दिनांक 18.06.2010 के अनुसार विक्रेता पक्ष ऋचा रूपावली उर्फ कुमारी ऋचा रूपाली पिता श्री प्रवीण राज **जाति ईसाई (जन्म से गैर आदिवासी)** निवासी स्मृति नगर, भिलाई जिला दुर्ग छग. द्वारा क्रेता श्रीमती सुनीताबाई पति श्री रामकुमार लहरे जाति सतनामी ग्राम घुरू, तह. तखतपुर, जिला बिलासपुर छ.ग. को मौजा खाम्हीकुर्मी, पटवारी हल्का नं. 27 (नया 42), रा.नि.मं. जरहागॉव, तह. मुंगेली, जिला बिलासपुर छ.ग. में स्थित भूमि खसरा नं. 277 एवं 279/2 में से कुल रकबा 0.25 एकड़ का विक्रय किया गया।

(m) विक्रय विलेख दिनांक 18.06.2010 के अनुसार विक्रेता पक्ष ऋचा रूपावली उर्फ कुमारी ऋचा रूपाली पिता श्री प्रवीण राज **जाति ईसाई (जन्म से गैर आदिवासी)** निवासी स्मृति नगर, भिलाई जिला दुर्ग छग. द्वारा क्रेता श्रीमती शिवबाई लहरे पति श्री द्वारिका लहरे जाति सतनामी ग्राम घुरू, तह. तखतपुर, जिला बिलासपुर छ.ग. को मौजा खाम्हीकुर्मी, पटवारी हल्का नं. 27 (नया 42), रा.नि.मं. जरहागॉव, तह. मुंगेली, जिला बिलासपुर छ.ग. में

Scanned with CamSc

स्थित भूमि खसरा नं. 148, 277 एवं 279/2 में से कुल रकबा 5.41 एकड़ का विक्रय किया गया।

उपर्युक्त (a) में दर्शित खसरा नं. 159, 160 की भूमि जिसे धारक के पूर्वज बर्णवासी साधू (B. Sadhu) वल्द प्रभूदास द्वारा खरीदा गया, के बैनामा रजिस्ट्री वर्ष 1940 में उनके नाम के आगे गोंड इसाई लिखा हुआ है, उक्त "गोंड" शब्द में ऊपरिलेखन (Over writing) किया जाना परिलक्षित हो रहा है। उक्त बैनामा रजिस्ट्री की मूल प्रति की मांग अवलोकन हेतु विजिलेन्स सेल के द्वारा किए जाने पर धारक के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा गया।

उक्त खसरा नं. 159, 160 की भूमि का विक्रय दिनांक 05.06.1974 को धारक के पूर्वज वर्णवास साधु आत्मज श्री प्रभुदास के द्वारा भुखऊ मसीह पिता श्री जगत राम क्रिश्चीयन को किया गया। जिसमें उनके नाम के आगे **क्रिश्चीयन (आदिवासी जाति का नहीं है)** उल्लिखित है।

उपर्युक्त (c) में दर्शित अनुसार भूमि का विक्रय धारक की माता के द्वारा, (d), (f), (h), (i) एवं (k) में दर्शित अनुसार भूमि का विक्रय धारक के भाई के द्वारा, (j), (l), एवं (m) में उल्लिखित अनुसार भूमि का विक्रय धारक के द्वारा स्वयं तथा (e) एवं (g) में दर्शित अनुसार भूमि का विक्रय धारक के भाई एवं स्वयं धारक के द्वारा विभिन्न क्रेताओं को किया गया है। उक्त समस्त विक्रय विलेख में उनकी जाति **ईसाई (जन्म से गैर आदिवासी)** उल्लिखित है। जो कि धारक के द्वारा प्राप्त किया गया **"गोंड" अनुसूचित जनजाति** संबंधी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र के बिल्कुल विपरीत है।

(V) **धारक एवं उनके वंशजों से संबधित राजस्व अभिलेख –**

(a) **अधिकार अभिलेख –**

(i) तहसील कार्यालय मुंगेली से धारक के पूर्वजों से संबंधित प्राप्त अधिकार अभिलेख (सन् 1954–55 की जमाबंदी के अनुसार) ग्राम मोतिमपुर, रा.नि.मं. जरहागॉव, तह. मुंगेली जिला बिलासपुर के अनुक्रमांक 95 में **वर्णवास साधू वल्द पुरूदास साकिन मोतिमपुर** भूमिस्वामी, सर्वे न. 19, रकबा 1.96 उल्लिखित है।

(ii) इसी प्रकार तहसील कार्यालय मुंगेली से ही प्राप्त अधिकार अभिलेख (सन् 1954–55 की जमाबंदी के अनुसार) ग्राम पेण्ड्रीडीह, तह. मुंगेली जिला बिलासपुर के क्र. 40 में **बी साधू वल्द प्रभुदास साकिन मुंगेली** भूमिस्वामी, खसरा नं. 32 रकबा 0.10 एकड़ एवं खसरा न 33/1 रकबा 0.66 एकड़ उल्लिखित है।

(iii) उपर्युक्त क्र. 7 (IV) (a) में दर्शित रजिस्ट्री बैनामा के खसरा नं. 159 एवं 160 से संबंधित, कार्यालय तहसीलदार मुंगेली से प्राप्त ग्राम बुचुआकापा तह. मुंगेली, जिला बिलासपुर के अधिकार अभिलेख 1954–55 में उक्त खसरा नं. की भूमि भुखऊ वल्द जगत के नाम दर्ज होना पाया गया। जिसमें उक्त खसरा नं. की भूमि को बैनामा दिनांक 06.05.1974 को वर्णवास साधु पिता प्रभुदास से खरीदे खरीदे जाने का उल्लेख है।

Scanned with CamSc

(b) मिसल अभिलेख –

(i) उक्त रजिस्ट्री बैनामा का भूखंड खसरा न. 159, 160 से संबंधित ग्राम मोतिमपुर पटवारी हल्का नं. 42 रा.नि.मं. जरहागॉव तह. व जिला मुंगेली के मिसल बन्दोबस्त वर्ष 1927–28 में खसरा न. 159, रकबा 0.38 एकड़ रामकिशोर के नाम तथा खसरा न. 160 रकबा 2.17 एकड़ भूमि भारथ वल्द अलेन सतनामी के नाम दर्ज है।

(ii) ग्राम बुचुआकापा पटवारी हल्का नं. 41 रा.नि.मं. जरहागॉव तह. व जिला मुंगेली के मिसल बन्दोबस्त वर्ष 1927–28 में खसरा न. 159 रकबा 1.17 एकड़ एवं खसरा न. 160 रकबा 1.17 एकड़ भूमि शिवलाल वल्द बिसराम सतनामी साकिन मोतिमपुर के नाम दर्ज है।

(iii) जिलाधीश कार्यालय बलौदाबाजार से धारक के पूर्वज वर्णवास साधु एवं प्रभुदास से संबंधित मिसल बन्दोबस्त एवं खसरा पांचसाला की सत्यापित प्रति प्राप्त की गयी है। ग्राम विश्रामपुर, तह. बलौदाबाजार, जिला रायपुर के मिसल बन्दोबस्त वर्ष 1927–28 के क्र. 42 पर प्रभुदास वल्द महासींग ईसाई खसरा नं. 125/139, रकबा 1.02 एकड़ दर्ज है। मौजा विश्रामपुर, पटवारी हल्का नं. 03, तह. सिमगा जिला बलौदाबाजार के खसरा पांचसाला वर्ष 1961–72 से 1975–76 में खसरा नं. 125/139 की भूमि संतदयाल, ईशदयाल, मसीहदयाल, यीशुदयाल, प्रभुदीन, आनन्द दयाल पिता प्रभुदास आदि के नाम दर्ज होना पाया गया।

(iv) उपर्युक्त क्र. (V) (a) (ii) में दर्शित खसरा नं. 32 एवं 33/1 से संबंधित मुख्य प्रतिलिपिकार जिला मुंगेली से प्राप्त ग्राम पेण्ड्रीडीह, पटवारी हल्का नं. 41 रा.नि.मं. जरहागॉव तह. व जिला मुंगेली के मिसल बन्दोबस्त वर्ष 1927–28 में खसरा नं. 32 रकबा 0.10 एकड़ एवं 33/1 रकबा 0.66 एकड़ जगधर वल्द सढ़वा कुरमी सा. देह के नाम दर्ज है।

(v) उपर्युक्त क्र. (v) (a) (i) में दर्शित अधिकार अभिलेख के अनुसार वर्णवास साधू वल्द पुरूदास के नाम मिसल बन्दोबस्त की मांग जिला कार्यालय मुंगेली से किए जाने पर प्राप्त जानकारी अनुसार ग्राम पेण्ड्रीडीह पटवारी हल्का नं. 41 के मिसल बन्दोबस्त में बी साधू का नाम दर्ज नहीं है। ग्राम मोतिमपुर पटवारी हल्का नं. 42 के मिसल बन्दोबस्त सन् 1927–28 में पुरू वल्द महगू सतनामी का नाम दर्ज है।

खसरा नं. 159, 160 के भूमि की बैनामा रजिस्ट्री की सत्यापित छायाप्रति की मांग किए जाने पर जिला पंजीयक कार्यालय बिलासपुर द्वारा उक्त अवधि में सूची 2 के अनुसार उक्त दस्तावेज से संबंधित प्रविष्टि नहीं पाये जाने की जानकारी दी गयी। उक्त दी गयी जानकारी एवं अधिकार अभिलेख सन् 1954–55 के अनुसार खसरा नं. 159, 160 की भूमि भुखऊ वल्द जगत के नाम दर्ज होने से कथित लोक दस्तावेज वर्ष 1940 की प्रस्तुत छायाप्रति की पुष्टि नहीं होती है।

उपर्युक्त अधिकार अभिलेखों में दर्ज वर्णवास साधू वल्द पुरूदास साकिन मोतिमपुर एवं बी साधू वल्द प्रभुदास साकिन मुंगेली का नाम उक्तानुसार प्राप्त मिसल अभिलेखों में दर्ज होना नहीं पाया गया है न ही रजिस्ट्री बैनामा के खसरा नं. 159 एवं 160 से संबंधित

Scanned with CamSc

अधिकार अभिलेख एवं मिसल बन्दोबस्त में धारक के पूर्वजों का नाम दर्ज होना पाया गया है।

(VI) **धारक के द्वारा प्राप्त सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र –**

धारक ऋचा रूपाली साधु पिता प्रवीण राज साधु निवासी ग्राम पेण्ड्रीडीह, तह. जरहागॉव, जिला मुंगेली छ.ग. द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अनुविभाग मुंगेली छ. ग. से दिनांक 27.07.2020 को जारी **"गोंड" अनुसूचित जनजाति** का स्थायी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है।

(VII) **जिला स्तरीय प्रमाण पत्र सत्यापन समिति जिला मुंगेली द्वारा की गयी जॉच एवं पारित आदेश–**

जिला स्तरीय प्रमाण पत्र सत्यापन समिति जिला मुंगेली द्वारा शिकायतकर्ता श्री संत कुमार नेताम निवासी ग्राम उस्लापुर जिला बिलासपुर छ.ग. से प्राप्त शिकायती पत्र एवं संलग्न दस्तावेज, शिकायतकर्ता श्री रमेश खुसरो अधिवक्ता रावणभांठा जिला मुंगेली छ. ग. से प्राप्त शिकायती पत्र एवं दस्तावेज, अनावेदिका ऋचा रूपाली साधु की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मुंगेली द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन आदि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण की जॉच अधिनियम/नियम 2013 में विहित प्रावधानों का अनुसरण करते हुए की गयी है। अनावेदिका सहित समस्त पक्षों को साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराया गया है। तदोपरांत प्रकरण में अपने निष्कर्ष सहित आदेश दिनांक 15.10.2020 पारित किया गया है। उक्त पारित आदेश में विस्तृत रूप से यथावश्यक समस्त तथ्यों का उल्लेख किया गया है, तथा निष्कर्षतः यह लेख किया गया है कि "प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों की विस्तृत समीक्षा एवं विश्लेषण के आधार पर जिला स्तरीय प्रमाण पत्र सत्यापन समिति जिला मुंगेली, अधिनियम 2013 की धारा 6(3) और नियम 2013 की धारा 18 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत ऋचा रूपाली साधु पिता प्रवीण राज साधु, निवासी ग्राम पेण्ड्रीडीह, तहसील मुंगेली, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ को जारी स्थायी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र प्रथमदृष्टया संदेहास्पद होने के कारण अनुसूचित जनजाति के लिए अंतिम जांच होने तक के लिए निलंबित करने तथा अनावेदिका द्वारा किसी भी प्रकार के हित लाभ के लिए उपयोग नहीं किये जाने संबंधी आदेश जारी करने के निर्देश सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मुंगेली, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ को दिया जाता है तथा समस्त दस्तावेजों सहित पारित आदेश की प्रति निर्धारित प्रारूप में उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति रायपुर को अंतिम जांच हेतु भेजा जावे।"

जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत एवं विभिन्न पक्षों द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के विश्लेषण उपरांत धारक के द्वारा प्राप्त सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र को संदेहास्पद पाते हुए प्रकरण को इस छानबीन समिति को प्रेषित किया गया है।

(VIII) **विजिलेन्स सेल के इन्स्पेक्टर द्वारा बतौर साक्ष्य लिए गए कथन/बयान –**

विजिलेन्स सेल के द्वारा प्रकरण के अन्वेषण के दौरान धारक के पूर्वजों के निवास स्थान ग्राम पेण्ड्रीडीह एवं ग्राम मोतिमपुर उप तह. जरहागॉव, जिला मुंगेली छ.ग. में आम

Scanned with CamSc

सूचना की मुनादी करायी जाकर उपस्थित ग्रामवासियों के पृथक पृथक कथन लेखबद्ध किए गए हैं। जो कि निम्नानुसार है –

(a) रामलोचन यादव पिता मतंग यादव उम्र 61 वर्ष, निवासी ग्राम मोतिमपुर के द्वारा अपने कथन मे यह कहा गया है कि वे ऋचा रूपाली साधु के परिवार को जानते तथा पहचानते हैं। ऋचा रूपाली साधु के पिता प्रवीण राज साधु तथा प्रवीण राज साधु के पिता सुशील कुमार साधु हैं। सुशील कुमार साधु के दो भाई थे, विमल साधु एवं प्रभात साधु। ये सभी पेण्ड्रीडीह के रहने वाले थे, तथा उनके खेती जमीन ग्राम मोतिमपुर में थी। वर्तमान में वे इस गॉव में नहीं रहते हैं। ये लोग इसाई धर्म के हैं। इनके पूर्वज कौन सी जाति के थे, ये जानकारी नहीं है। इस गांव में यादव, सतनामी, कुर्मी, पनिका, केवट एवं इसाई जाति के लोग रहते हैं।

(b) तोरन महिलांगे पिता स्व. प्रेमदास महिलांगे उम्र 44 वर्ष निवासी ग्राम मोतिमपुर के द्वारा कथन किया गया है कि उन्होंने ऋचा रूपाली साधु का नाम सुना है, इस गॉव (मोतिमपुर) में वह नहीं आयी है। उसके परिवार के लोग इस गांव के रहने वाले थे। इस गांव में उनके परिवार की खेती जमीन है। उनका परिवार इसाई धर्म को मानता है। इस गांव में यादव, सतनामी, कुर्मी, पनिका, केवट एवं इसाई जाति के लोग रहते हैं। उनके पूर्वजों के संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उनकी जानकारी में पिछले लगभग 100 वर्ष से इस गांव में गोंड जाति के कोई भी परिवार निवासरत नहीं है।

(c) किशुन वल्द उदय राम यादव उम्र 65 वर्ष, निवासी ग्राम मोतिमपुर के द्वारा अपने कथन मे यह कहा गया है कि वे प्रवीण कुमार साधु के परिवार को जानते हैं, इस गांव में उनकी खेती जमीन है। उनका परिवार इस गॉव में नहीं रहता है। वे पड़ोस के गांव पेण्ड्रीडीह के रहने वाले थे। उनका परिवार इसाई धर्म को मानता है। वे किस जाति के हैं, इस संबंध में जानकारी नहीं है। इस गांव में यादव, सतनामी, कुर्मी, पनिका, केवट एवं इसाई जाति के लोग रहते हैं। इस गांव में उनके 65 साल की जानकारी के अनुसार गोंड जाति के लोग नहीं रहते हैं।

(d) जितेन्द्र कुमार जॉन पिता श्री जॉन मसीह उम्र 75 वर्ष निवासी ग्राम पेण्ड्रीडीह (छौतोना) के द्वारा बयान दिया गया है कि उन्हें ऋचा रूपाली साधु के पूर्वजों के बारे में जानकारी है। उनके पिता प्रवीण राज साधु के पिता सुशील कुमार साधु थे। सुशील कुमार साधु के पिता वर्णवास साधु थे। वर्णवास साधु के पिता का नाम उनकी जानकारी में नहीं है। वर्णवास साधु ग्राम पेण्ड्रीडीह के रहने वाले थे, वे भी बाहर कहीं से आकर यहां पर रहते थे तथा इसाई धर्म के मिशनरी में कार्य करते थे, जमीन जायदाद ग्राम खाम्हीकुर्मी, बुचुआकापा में थी। वर्णवास साधु के तीन लड़के थे, सुशील कुमार, विमलकुमार एवं प्रभात कुमार। सुशील कुमार साधु के समय में ग्राम मोतिमपुर में जमीन जायदाद खरीदा गया था। उनके जानकरी में वे सभी इसाई धर्म को मानते थे। उन्होंने किस जाति से इसाई धर्म को अपनाया है, इस संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है।

(e) झूलाराम कश्यप पिता संतोष कश्यप उम्र 82 वर्ष निवासी ग्राम छौतोना के द्वारा यह कथन किया गया है कि वे पहले ग्राम पेण्ड्रीडीह में रहते थे। वर्णवास साधु का परिवार भी

Scanned with CamSc

उनके मकान के सामने रहता था। वर्णवास साधु के पिता कौन थे इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। वर्णवास साधु के तीन लड़के, सुशील, विमल और प्रभात थे। वर्तमान में उनके परिवार के लोग यहां नहीं रहते हैं। सुशील के दो लड़के थे, प्रवीण राज साधु एवं पुष्पराज साधु। सुशील साधु का मकान पेण्ड्रीडीह में था और खेती ग्राम मोतिमपुर में है। पेण्ड्रीडीह, बुचुआकापा और छौतोना गांव एक साथ लगा हुआ है। ये लोग इसाई धर्म को मानते हैं, इनके पूर्वज किस जाति से हैं, ये जानकारी नहीं है।

(f) गंगाराम मरकाम पिता स्व. कदुराम मरकाम उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम पेण्ड्रीडीह द्वारा बयान दिया गया है कि "इस गांव में गोंड जाति का एक ही परिवार रहता है। मैं वर्णवास साधु के परिवार को जानता हूं। बहुत पहले ये लोग इस गांव में थे, तथा खेती किसानी पड़ोसी ग्राम मोतिमपुर में है। वर्तमान में ये लोग इस गांव में नहीं रहते हैं। मेरी जानकारी में ये लोग इसाई धर्म को मानते हैं। ये लोग गोंड जाति के नहीं हैं। उनके साथ हमारे परिवार (गोंड) में खानपान का कोई संबंध नहीं है।"

(g) यीसुदयाल आत्मज स्व. प्रभुदास उम्र 84 साल निवासी ग्राम विश्रामपुर के द्वार अपने कथन में यह कहा गया है कि "मैं विमल इसाई को जानता हूँ, वे इसी गांव के रहने वाले थे। विमल के दो और भाई थे, जिनके नाम सुशील और प्रभात है। विमल की दो पत्नी थी, दूसरी पत्नी शेरो अब भी जीवित है और रायपुर में कहीं रहती है। विमल की खेती की जमीन है जिसे मेरे बड़े भाई संतदयाल का बेटा सुरेश रेगा में करता है। फसल होने के बाद विमल की पत्नी अपने हिस्से के फसल को लेने रायपुर से आती है। वे लोग भी इसाई धर्म को मानते हैं। मेरे पूर्वज सतनामी जाति के हैं। हम लोग वर्णवास साधु को नहीं जानते हैं।"

(h) सुरेश पिता संतदयाल जाति सतनामी उम्र 52 साल, ग्राम विश्रामपुर के द्वारा बयान दिया गया है कि "मैं विमल दादाजी को जानता हूँ, उनकी दो पत्नियां थी, एक पत्नी गुजर चुकी है और दूसरी पत्नी शेरो दास खम्हारडीह रायपुर में रहती है। उनके दो बेटे हैं। उनके तीन एकड़ जमीन को मैं रेगा में बोता हूँ। फसल आने पर वह अपना हिस्सा लेने गांव में आते हैं। इसाई के त्यौहारों में भी वे गांव में आना जाना करते हैं। विमल के बड़े भाई परसन टेलर थे, जो इस गांव में ही रहते थे। उनका स्वर्गवास हो चुका है। विमल इसाई धर्म को मानते हैं। वर्णवास साधु को हम लोग नहीं जानते हैं। इस गांव में कुम्हार, लोहार, यादव, चौहान एवं केंवट आदि जाति के लोग रहते हैं।"

(i) पुष्पराज साधु आत्मज सुशील कुमार साधु उम्र 61 वर्ष, निवासी सेवा सदन कम्पाउन्ड मंदिर चौक, जरहाभाठा बिलासपुर (धारक के चाचा) के द्वारा बयान दिया गया है कि "मैं इसाई धर्म को मानता हूँ। यूको बैंक बिलासपुर में नौकरी करता था, अब सेवानिवृत हो चुका हूँ। मेरे दादा स्व. वर्णवास साधु तथा पर दादा प्रभुदास थे। मेरी जानकारी अनुसार मेरे पूर्वज को मिशनरी द्वारा पढ़ाया लिखाया गया है, जो पेण्ड्रा तरफ के थे। बाद में मेरे दादा सेवानिवृति के बाद ग्राम पेण्ड्रीडीह में आकर स्थायी रूप से बस गए। मेरे पिता सुशीलकुमार के दो और भाई बहन थे, जिनके नाम विमल कुमार, प्रभातकुमार, श्रीमती हैलेन जेम्स एवं श्रीमती एगनेश एण्ड्रोस थे। हमलोग चार भाई बहन हैं जिनके नाम संध्या, प्रवीण राज, पुष्पराज एवं सृष्टि हैं। प्रवीण राज साधु के दो बच्चे हैं, ऋचा रूपाली साधु और

Scanned with CamSc

ऋषभ सुशील साधु । मेरे दो बच्चे हैं, स्वपनिल एवं सोनाली। वर्तमान में हम लोग कोई भी व्यक्ति ग्राम पेण्ड्रीडीह में नहीं रहते हैं। केवल पुस्तैनी मकान है। ग्राम पेण्ड्रीडीह एवं मोतिमपुर में हम लोगों की पुश्तैनी जमीन है।" उनके द्वारा अपने बयान के साथ पूर्वोक्त रजिस्ट्री बैनामा वर्ष 1940 की छायाप्रति प्रदान गई। उक्त दस्तावेज पुष्पराज साधु के जन्म के 20 वर्ष पूर्व का है।

(j) श्रीमती रश्मी कान्ता साधु पति स्व. श्री प्रवीण राज साधु उम्र 62 वर्ष निवासी ए 5 कम्युनिटी एवेन्यू मंगल भवन के सामने स्मृति नगर भिलाई के द्वारा यह कथन किया गया है कि "मेरे 02 बच्चे हैं जिनका नाम ऋचा रूपाली साधु तथा ऋषभ सुशील साधु है। मेरे पति फॉरेस्ट ऑफिस रायपुर में नौकरी करते थे। नौकरी करते हुए दिनांक 09.01.2000 को उनका स्वर्गवास हो गया। मेरे ससुर जी का नाम सुशील कुमार साधु था उनका भी देहांत वर्ष 1995 में हो गया है। वे अपने पूर्वजों की जमीन जायदाद, जो कि ग्राम मोतिमपुर जिला मुंगेली में है, की देखरेख करते थे। मेरे ससुर जी के दो भाई एवं दो बहने थीं, जिनके नाम विमल कुमार साधु, प्रभात कुमार साधु, एग्नेस एण्ड्रोज एवं हेलेन जेम्स थे। वर्तमान में सभी का स्वर्गवास हो चुका है। मेरे ससुर जी के पिता का नाम वर्णवास साधु था, जो चर्च में पास्टर थे। पहले वह पेण्ड्रारोड़ में थे, बाद में स्थानांतरण होकर मेरी जानकारी में बैतलपुर, विश्रामपुर, जरहागांव, मुंगेली आदि जगह में पास्टर के पद पर चर्च में कार्यरत थे। उनके पिता कौन थे यह जानकारी मुझे नही है। मैं अपने पति के पूर्वजों के संबंध में सुनी हूँ कि वे गोंड जाति के थे, जो इसाई धर्म अपना लिये थे। मेरे मायके की जाति के संबंध में भी मुझे जानकारी नही है, वे भी इसाई धर्म को मानते हैं। वर्तमान में हम लोग इसाई धर्म के रीति–रिवाज को मानते हैं।"

ग्राम मोतिमपुर एवं पेण्ड्रीडीह के ग्रामवासियों के उपर्युक्त कथन अनुसार धारक के पूर्वजों की जमीन ग्राम मोतिमपुर में थी तथा वे ग्राम पेण्ड्रीडीह में रहते थे। धारक का परिवार इसाई धर्म को मानता है तथा उनके पूर्वज किस जाति से हैं यह जानकारी ग्रामवासियों को नही है। ग्रामवासियों के अनुसार ग्राम मोतिमपुर में कोई भी गोंड परिवार निवास नहीं करता है। ग्राम पेण्ड्रीडीह में गोंड जाति का एक ही परिवार रहता है, जिनके साथ धारक के परिवार का खान–पान का कोई संबंध नहीं है। उनके अनुसार धारक का परिवार गोंड जाति का नहीं है।

ग्राम विश्रामपुर के ग्रामवासियों के अनुसार विमल कुमार साधु विश्रामपुर में रहते थे। जहां उनकी खेती की जमीन भी हैं जिस पर आज भी गांव के सुरेश पिता संतदयाल द्वारा रेगा में कृषि कार्य किया जाता है। विमल कुमार का परिवार इसाई धर्म को मानता है। साथ ही ग्रामवासी वर्णवास साधु को नही जानते हैं।

धारक की मॉ रश्मीकान्ता साधु एवं चाचा पुष्पराज साधु के कथन अनुसार वर्णवास साधु चर्च में पास्टर थे तथा उनका स्थानांतरण होता रहता था। उनके द्वारा ग्राम पेण्ड्रीडीह एवं मोतिमपुर में पुस्तैनी जमीन होना बताया गया है। साथ ही यह कहा गया है कि वे इसाई धर्म के रीति–रिवाज को मानते हैं। धारक के चाचा द्वारा अपने कथन में कहा गया है कि उनके पूर्वज गोंड जाति के हैं, किन्तु इसकी पुष्टि में कोई दस्तावेज नहीं किया गया। पर धारक की मॉ के द्वारा कथन किया गया है कि उन्होंने अपने पति के पूर्वजों के संबंध में

Scanned with CamScanner

सुना है कि वे गोंड जाति के थे, जिनके द्वारा इसाई धर्म को अपना लिया गया था। धारक की मॉ को अपने मायके, जो कि इसाई धर्म को मानते हैं, की जाति के संबंध में भी कोई जानकारी नही है। जो व्यक्ति स्वयं की जाति से अनभिज्ञ है, उन्होंने अपने पति के पूर्वजों की जाति के संबंध में सुना है कि वे गोंड जाति के थे।

(IX) **धारक की सामाजिक प्रास्थिति संबंधी अध्ययन प्रतिवेदन –**

अनुसंधान सहायक द्वारा जाति प्रमाण पत्र धारक ऋचा रूपाली साधु पिता प्रवीण राज साधु निवासी ग्राम पेण्ड्रीडीह, उप तह. जरहागॉव, जिला मुंगेली छ.ग. के सामाजिक प्रास्थिति की जॉच के अनुक्रम में उनकी सामाजिक स्थिति संबंधी अध्ययन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार धारक एवं उसका परिवार ईसाई धर्म का अनुयायी है एवं वे ईसाई धर्म के त्यौहार, देवी देवता, जन्म, विवाह एवं मृत्यु संस्कार आदि का पालन करते हैं। उनके रीति रिवाज, प्रथाएं एवं परंपराएं ईसाई धर्म के अनुरूप हैं। इस प्रकार धारक के परिवार के सदस्यों एवं ईसाई समुदाय (प्रोटेस्टेन्ट) द्वारा दी गयी जानकारी के आधार पर उनकी सामाजिक स्थिति ''गोंड'' अनुसूचित जनजाति होना नहीं पाया गया।

धारक के द्वारा जाति प्रमाणपत्र वैधता परीक्षण हेतु भरकर प्रस्तुत किए गए प्रपत्र में उपरोक्त प्रतिवेदित सामाजिक स्थिति के पूर्णतः प्रतिकूल जानकारी दी गयी है। उक्त प्रपत्र में धारक के द्वारा अपनी जाति ''गोंड'' बताया गया है, पर उन्हें अपनी उपजाति, गोत्र एवं गोत्रचिन्ह/वंश (टोटम) की कोई जानकारी नहीं है। जिन जातियों के साथ उनके खान पान का संबंध होता है यह जानकारी उन्हें नहीं है, न ही उन्हें अपनी जाति के समकक्ष जातियों के नामों की जानकारी है।

(X) **धारक के द्वारा अपने पक्ष समर्थन में दिए गए बयान/कथन एवं प्रस्तुत दस्तावेज –**

प्रकरण के अन्वेषण के दौरान विजिलेन्स सेल को धारक के द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का विश्लेषण पूर्वोक्त बिन्दुओं में किया जा चुका है। अतः विजिलेन्स सेल को प्रस्तुत दस्तावेजों के विश्लेषण एवं परीक्षण की पुनरूक्ति आवश्यक नही है।

छानबीन समिति द्वारा प्रकरण की जॉच के अनुक्रम में नियम 2013 के नियम 22(1) में विहित प्रावधान के अनुसार धारक को कारण बताओ नोटिस मय अन्वेषण प्रतिवेदन दिनांक 22.03.2021 प्रेषित करते हुए 15 दिवस के भीतर उनसे स्पष्टीकरण की अपेक्षा की गई। पर धारक के द्वारा नियत समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत नही किया गया। अतः उक्त संबंध में पत्र दिनांक 07.05.2021 के द्वारा स्मरण पत्र प्रेषित किया गया। जिसके उपरांत भी धारक के द्वारा उक्त प्रेषित कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत नही किया गया। फलस्वरूप धारक को स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से पक्ष रखने हेतु आहूत किया गया। जिसके अनुक्रम में दिनांक 11.06.2021 को धारक के प्रतिनिधि के रूप में उनके भाई ऋषभ सुशील साधु ने उपस्थित होकर धारक का पक्ष रखा। उनके द्वारा धारक की सामाजिक प्रास्थिति के समर्थन में धारक एवं उनके वंशजों से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। जिसमें से कई अभिलेख पूर्व में भी प्रस्तुत किए गए हैं। जिसके अंतर्गत निम्नानुसार अभिलेख सम्मिलित हैं –

Scanned with CamSc

(i) धारक के पर दादा बी साधू का रजिस्ट्री बैनामा वर्ष 1940 –

रजिस्ट्री बैनामा वर्ष 1940 के संबंध में विस्तृत विश्लेषण उपरोक्त बिन्दु क्र. 7 (IV) एवं (V) के अंतर्गत किया जा चुका है। उक्त रजिस्ट्री बैनामा जिसमें केता वर्णवासी साधू (बी. साधू) वल्द प्रभुदास गोंड़ इसाई साकिन बीश्रामपुर तहसील बलौदाबाजार जिला रायपुर हाल मुकाम पेण्ड्रीडीह तहसील मुंगेली जिला बिलासपुर उल्लिखित है, में दर्ज खसरा नं. 159, 160 की भूमि धारक के पूर्वजों के नाम से किसी भी अधिकार अभिलेख एवं मिसल अभिलेख में दर्ज होना नहीं पाया गया है। जिला पंजीयक कार्यालय बिलासपुर से खसरा नं. 159, 160 के भूमि की बैनामा रजिस्ट्री की सत्यापित छायाप्रति की मांग किए जाने पर उक्त अवधि में सूची 2 के अनुसार उक्त दस्तावेज से संबंधित प्रविष्टि नहीं पाये जाने की जानकारी दी गयी। रजिस्ट्री बैनामा में केता वर्णवासी साधू के नाम के आगे गोंड़ शब्द में ऊपरिलेखन (Over writing) किया जाना परिलक्षित होता है। उक्त अभिलेख की छायाप्रति का मिलान मूल प्रति से किये जाने हेतु धारक से उक्त रजिस्ट्री बैनामा की मूल प्रति की मांग किये जाने पर उनके द्वारा प्रस्तुत नही किया गया। अतः उक्त दस्तावेज, धारक की सामाजिक प्रास्थिति को साबित किये जाने हेतु सुसंगत नही होने के कारण अस्वीकार योग्य है।

(ii) बी साधु वल्द प्रभुदास का अधिकार अभिलेख वर्ष 1954–55–

ग्राम पेण्ड्रीडीह, तह. मुंगेली जिला बिलासपुर के अधिकार अभिलेख की छायाप्रति (सन् 1954–55 की जमाबंदी के अनुसार) के क्र. 40 में बी साधू वल्द प्रभुदास साकिन मुंगेली भूमिस्वामी, खसरा नं. 32 रकबा 0.10 एकड़ एवं खसरा न 33/1 रकबा 0.66 एकड़ अंकित है।

मुख्य प्रतिलिपिकार जिला मुंगेली से विजिलेन्स सेल को प्राप्त ग्राम पेण्ड्रीडीह, पटवारी हल्का नं. 41 रा.नि.मं. जरहागॉव तह. व जिला मुंगेली के मिसल बन्दोबस्त वर्ष 1927–28 में खसरा नं. 32 रकबा 0.10 एकड़ एवं 33/1 रकबा 0.66 एकड़ भूमि जगधर वल्द सढ़वा कुरमी सा. देह के नाम दर्ज है। इस प्रकार प्रस्तुत अधिकार अभिलेख में दर्ज खसरा नं. की भूमि मिसल बन्दोबस्त में दर्ज होना नहीं पाया गया है। साथ ही अधिकार अभिलेख में भूमिस्वामी की जाति अंकित नहीं है। अतः साक्ष्य हेतु सुसंगत एवं ग्राह्य नहीं है।

(iii) पुष्पराज साधु का विकय विलेख दिनांक 23.05.2002 –

प्रस्तुत विक्रय विलेख दिनांक 23.05.2002 के अनुसार विक्रेता सुंदरलाल सलूजा आत्मज अमीचंद सलूजा निवासी ग्राम लोरमी जिला बिलासपुर के द्वारा क्रेता पुष्पराज साधु आत्मज सुशील कुमार साधु बिलासपुर को खसरा नं. 228/10 एवं 228/13 में से कुल रकबा 0.115 एकड़ भूमि का विक्रय किया गया है। उक्त विक्रय विलेख में क्रेता के नाम के आगे जाति गोंड़ (इसाई धर्म) टंकित है। जो कि उक्त पेज के टंकण हेतु नियत बार्डर से बाहर टंकित होने के कारण बाद में टंकण कराया जाना स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। बावजूद इसके उक्त विक्रय विलेख धारक की सामाजिक प्रास्थिति को साबित किए जाने हेतु सुसंगत न होने के कारण ग्राह्य नहीं है।

Scanned with CamSc

(iv) **स्वप्निल साधु पिता श्री पुष्पराज साधु के शालेय अभिलेख वर्ष 1994 –**

भारत माता अंग्रेजी उ.मा. विद्यालय बिलासपुर छ.ग. के शालेय दाखिल खारिज पंजी की सत्यप्रतिलिपि के क्र. 2632 पर स्वप्निल सुशील साधु पिता पुष्पराज साधु जाति गोंड ST प्रवेश तिथि 07.06.1994 अंकित है। उक्त शालेय दाखिल खारिज पंजी वर्ष 1994 की होने के फलस्वरूप धारक की सामाजिक प्रास्थिति को साबित किए जाने हेतु सुसंगत न होने के कारण अग्राह्य है।

(v) **स्वप्निल साधु के जाति प्रमाण पत्र बनवाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय संलग्न किए गए अभिलेख –**

स्वप्निल साधु पिता श्री पुष्पराज साधु के द्वारा अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र बनवाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी अनविभाग मुंगेली जिला बिलासपुर को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। आवेदन पत्र के साथ पटवारी जॉच प्रतिवेदन, ,वंशवृक्ष, आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, पंचनामा, इमानुएल चर्च बिश्रामपुर के रजिस्टर की छायाप्रति, बी1 एवं ऋण पुस्तिका की प्रति संलग्न किये गये हैं।

आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रतिवेदनों, प्रमाण पत्रों एवं दस्तावेजों के साथ इमानुएल चर्च बिश्रामपुर के रजिस्टर की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है। जिसमें चर्च के प्रभारी द्वारा अपने हस्तलेख से यह प्रमाणित किया गया है कि "श्री बी साधू के पारिवारिक दस्तावेज सत्र 1941 के पेज क्र. 12 के अनुसार इनकी मूल जाति गोंड है।" उक्त अभिलेख के अधिकांश अक्षर एवं शब्द अस्पष्ट एवं अपठनीय हैं। उक्त अभिलेख के दूसरे पृष्ठ के प्रारंभ में Sadhu (पूर्व के अक्षर/शब्द दृष्टिगत नहीं है) M. 45, Mrs. R.Sadhu F. 38, Agnes F. 18, Sushil Kumar M. 15, Vides F. 13, Vimal Kumar M. 10, Prabhat Kumar M.8, Pushawati Helen F. 2 के नाम लिखे हुए हैं। उक्त नामों के आगे की प्रविष्टियां अस्पष्ट हैं। कॉलम किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा लिखे गए हैं जो कि सुपठनीय नहीं हैं। cast के कॉलम के नीचे Sadhu M. 45 के आगे Gond लिखा हुआ अस्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। उक्त हस्तलेख, मूल रूप से पंजी में प्रविष्टियां अंकित करने वाले व्यक्ति के न होकर किसी अन्य व्यक्ति के प्रतीत हो रहे हैं। जो कि संभवतः बाद में प्रविष्टि किए गए हैं। इमानुएल चर्च बिश्रामपुर के रजिस्टर की प्रमाणित प्रति के आधार पर ही संभवतः न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण) अनुभाग मुंगेली जिला बिलासपुर छ.ग. के द्वारा दिनांक 01.08.2011 को स्वपनिल पिता श्री पुष्पराज साधु को **"गोंड" अनुसूचित जनजाति** का स्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

सर्वप्रथम इमानुएल चर्च बिश्रामपुर के रजिस्टर की छायाप्रति, जिसमें उक्त रजिस्टर का नाम उल्लिखित नहीं है, में धारक के पूर्वजों के नाम के आगे की गयी "Gond" शब्द की प्रविष्टि मूल संधारणकर्ता से पृथक अन्य व्यक्ति के द्वारा कालांतर में किया जाना परिलक्षित होने, तथा मूल अभिलेख अथवा मूल अभिलेख की स्पष्ट और सुपठनीय प्रमाणित प्रति उपलब्ध न कराए जाने के कारण जाति के संबंध में उक्त अभिलेख की स्वीकार्यता संदिग्ध है। साथ ही चर्च का दस्तावेज एक निजी धार्मिक संस्था का दस्तावेज है। उक्त निजी अभिलेख को नियम 2013 में विहित दस्तावेजों के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया

Scanned with CamSc

है। साथ ही चर्च का रजिस्टर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 74 के अंतर्गत परिभाषित लोक दस्तावेज से भिन्न निजी दस्तावेज है। अतः भारतीय साक्ष्य अधिनियम में विहित अनुसार उक्त दस्तावेज साक्ष्य हेतु ग्राह्य नहीं है। फलस्वरूप चर्च का उक्त अभिलेख धारक की सामाजिक प्रास्थिति को साबित किए जाने हेतु सबूत के तौर पर स्वीकार योग्य (Admissible) नहीं है।

8. अतः विजिलेन्स सेल के द्वारा प्रस्तुत अन्वेषण प्रतिवेदन मय आनुषंगिक अभिलेखों के परिशीलन, मान. सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों, अधिनियम/नियम 2013 में विहित प्रावधानों, धारक के द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों तथा दिए गए जवाब का समग्र विश्लेषण किए जाने के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि :–

(i) धारक के पिता/पूर्वज वर्ष 1950 से पूर्व छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक परिसीमा में निवासरत थे। उनका मूल निवास ग्राम पेण्ड्रीडीह, मोतिमपुर तह. मुंगेली जिला बिलासपुर एवं विश्रामपुर तह. बलौदाबाजार जिला रायपुर होना पाया गया है।

(ii) धारक ऋचा रूपाली साधु पिता प्रवीण राज साधु निवासी ग्राम पेण्ड्रीडीह, तह. जरहागॉव, जिला मुंगेली छ.ग. द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अनुविभाग मुंगेली छ.ग. से दिनांक 27.07.2020 को अपने पक्ष में जारी **"गोंड" अनुसूचित जनजाति** का स्थायी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है।

(iii) धारक के पूर्वज स्व. श्री प्रभात कुमार पिता बी साधु के इंडियन इंग्लिश मिडिल स्कूल तह. बलौदाबाजार जिला रायपुर के शालेय दाखिल खारिज पंजी दिनांक 20.07.1944 के जाति या धर्म के कॉलम में **"Xtian"** अंकित है। इस प्रकार धारक के पूर्वजों के किसी भी शालेय अभिलेख में "गोंड" अनुसूचित जनजाति उल्लिखित होना नहीं पाया गया है।

(iv) धारक के द्वारा अपनी सामाजिक प्रास्थिति को साबित करने हेतु प्रस्तुत इमानुएल चर्च बिश्रामपुर के रजिस्टर वर्ष 1941 की छायाप्रति, नियम 2013 में विहित दस्तावेजों के अंतर्गत न होने तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में विहित अनुसार लोक दस्तावेज से भिन्न निजी दस्तावेज की श्रेणी में होने के कारण ग्राह्य नहीं है।

(v) धारक के द्वारा अपनी दावा की गई सामाजिक प्रास्थिति के समर्थन में प्रस्तुत किसी भी राजस्व अभिलेख से उनके सामाजिक प्रास्थिति संबंधी दावे का समर्थन नहीं होता।

(vi) धारक की सामाजिक स्थिति संबंधी अध्ययन प्रतिवेदन से भी यह स्पष्ट हुआ है कि "गोंड" जनजाति के सदस्यों के साथ धारक के परिवार का वैवाहिक संबंध नहीं होता है। धारक के द्वारा पूर्णतः इसाई समुदाय के रीति रिवाजों, संस्कारों एवं प्रथाओं का अनुसरण किया जाता है तथा इसाई समुदाय के साथ ही उनके परिवार का वैवाहिक संबंध होता है। धारक के पूर्वजों के निवासी ग्राम पेण्ड्रीडीह के गोंड जाति के ग्रामवासियों के द्वारा यह कहा गया है कि धारक के पूर्वज गोंड जाति के नहीं हैं, तथा उनके साथ गोंड परिवार के बीच खानपान का कोई संबंध नहीं है।

(vii) धारक के पूर्वज वर्णवास साधु पिता प्रभुदास द्वारा दिनांक 06.05.1974 को, धारक की मॉ रश्मिकांता साधु, धारक के भाई ऋषभ सुशील साधु तथा धारक के द्वारा स्वयं दिनांक 18.06.2010 को विभिन्न खसरा नं. की भूमि के किए गए विक्रय के दौरान सक्षम अधिकारी के समक्ष निष्पादित विक्रय विलेख में उनके नाम के आगे **"गैर आदिवासी"** उल्लिखित है। इससे स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा स्वयं को गैर आदिवासी घोषित किया हुआ है।

Scanned with CamSc

यह तथ्य निर्विवाद है कि अपनी सामाजिक प्रास्थिति को साबित करने का भार धारक श्रीमती ऋचा रूपाली साधु पर है। यह भी निर्विवाद तथ्य है कि उन्होंने उपलब्ध समस्त साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया है, अब उन्हें अन्य कोई साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करना है। इस आशय की स्वीकारोक्ति भी उनके द्वारा की गयी है। संपूर्ण जॉच की प्रक्रिया में विधि के प्रावधानों के अनुसार धारक को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया है।

प्रकरण में यह भी विचारणीय बिन्दु है कि धारक श्रीमती ऋचा रूपाली साधु के पिता प्रवीण राज साधु शासकीय सेवा में नियोजित थे, उनके सेवा अभिलेख में **"क्रिश्चियन"** लिखा हुआ है, तथा विभाग के अभिलेख के अनुसार वे **सामान्य वर्ग** के शासकीय सेवक थे। उन्होंने राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययन किया है, किन्तु उनके द्वारा कभी भी अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित सुविधाओं का लाभ नहीं लिया गया है, जबकि उन्हें शासकीय नियम–निर्देशों/प्रावधानों का समुचित ज्ञान था।

प्रकरण में विजिलेन्स सेल की रिपोर्ट, गवाहों के कथन एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के परीक्षण तथा विस्तृत विवेचना से स्पष्ट है कि धारक अपनी सामाजिक प्रास्थिति को प्रमाणित करने में असफल रही है। अतः न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी मुंगेली द्वारा धारक ऋचा रूपाली साधु को दिनांक 17.07.2020 को जारी स्थायी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र निरस्त नहीं करने का कोई कारण नहीं है।

अतएव छ.ग. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम 2013 के अधीन निर्मित नियम 2013 के नियम 23 (2) में विहित प्रावधान के अनुसार न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अनुविभाग मुंगेली जिला मुंगेली छ.ग. से दिनांक 27.07.2020 को धारक ऋचा रूपाली साधु पिता प्रवीण राज साधु के पक्ष में जारी **"गोंड" अनुसूचित जनजाति के स्थायी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।**

नियम 2013 के नियम 23(3) एवं अन्य सुसंगत प्रावधान के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु कलेक्टर जिला मुंगेली छ.ग. को प्राधिकृत किया जाता है।

नियम 2013 के नियम 23(5) में विहित प्रावधान के अनुसार उक्त मिथ्या सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र को समपहृत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु उप पुलिस अधीक्षक सतर्कता प्रकोष्ठ उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति (छ.ग.) नवा रायपुर अटल नगर को अधिकृत किया जाता है।

उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति द्वारा पारित इस आदेश की प्रति सर्वसंबंधित को पंजीकृत डाक के माध्यम से विधि अनुकूल कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे।

(शम्मी आबिदी)
सदस्य सचिव
उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति
एवं संचालक, आ.जा. तथा अनु.जा. विकास,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(कमलप्रीत सिंह)
सदस्य
उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति
एवं आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय, नवा
रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

(डी.डी. सिंह)
अध्यक्ष
उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति
एवं सचिव, आ.जा. तथा अनु.जाति वि.
विभाग, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(उषा लकड़ा)
सदस्य
उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति
एवं अनुसंधान अधिकारी, आ.जा. अनु. एवं
प्रशि. संस्थान क्षेत्रीय इकाई बिलासपुर (छ.ग.)

(एल. चौहान)
सदस्य
उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति
एवं अनुसंधान अधिकारी, आ.जा. अनु. एवं प्रशि.
संस्थान नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

(भुवनेश यादव)
सदस्य
उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति
एवं संचालक, भू अभिलेख, नवा रायपुर
अटल नगर (छ.ग.)

Scanned with CamSc

पृ.क्र./छास/अजजा/527/2020/97 नवा रायपुर अटल नगर, दिनाँक 23/06/2021

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर।
2. सचिव, छ.ग. शासन, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर।
3. कलेक्टर, जिला मुंगेली (छ.ग.) की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया नियम 2013 के नियम 23(3) एवं अन्य सुसंगत प्रावधान के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा नियम 2013 के नियम 23(4) में विहित प्रावधान के अनुसार 3 माह के भीतर अपना प्रतिवेदन राज्य शासन को अग्रेषित करें।
4. अध्यक्ष जिला स्तरीय प्रमाण पत्र सत्यापन समिति जिला मुंगेली छ.ग. की ओर उनके पत्र क्रमांक/जाति सत्यापन/2020–21/832 दिनांक 20.10.2020 के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
5. उप पुलिस अधीक्षक, सतर्कता प्रकोष्ठ की ओर प्रेषित कर लेख है कि नियम 2013 के उप नियम 23(5) में विहित प्रावधान के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए समिति को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करें।
6. श्रीमती ऋचा रूपाली साधु पिता श्री प्रवीण राज साधु "अनुग्रह" सागौन बंगला सिविल लाइन रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
7. आदेश फाईल फोल्डर।

सदस्य-सचिव
उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति
एवं संचालक, आ.जा. तथा अनु.जाति विकास
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

Scanned with CamSc